फ्लूकार्बीमेट	एन-(एन-3, 5-डाइक्लोरो-4 (ई)-1, 2, 3- 3-पेंटाफ्लूरो-1 प्रोपेनिलोक्सी) (-फेनिल)-कार्बामायल-2-क्लोरोबेंजो कार्बोक्सीडेट
पेक्लोबूट्राजोल	(2 आर एस, 3 आर एस)-1-(4-क्लोरोफेनिल)-4, 4-डाइमेथिल-2 (1 एच-1, 2, 4-ट्राइजोल-1-वाई 1)-पेंटान-3-ओ1"

[सं. 19-1/90-पी. पी. I]

कंवर राजिन्द्र सिंह, कंवर सचिव

टिप्पण:— सा. का. नि. सं. 9 (अ) तारीख 9-1-74, 823(अ), तारीख 28-9-76, 200(अ) तारीख 29-3-78 के अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा और कीटनाशी दवाएं अनुसूची में सम्मिलित की गई, जिन पर सा. का. नि. सं. 318 (अ), तारीख 16-7-80, 574 (अ), तारीख 6-10-79, 32(अ) तारीख 12-2-80, 501 (अ), तारीख 17-7-82, 500 (अ), तारीख 18-6-85 839 (अ), तारीख 14-11-85, 31(अ), तारीख 15-1-87, 511(अ), तारीख 22-5-87 और 858 (अ) तारीख 12-8-88 और 13(अ) तारीख 5-1-1990 द्वारा सं. 201 (अ) के रूप में उपान्तरण किया गया था।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 1990

G.S.R. 987 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (ii) of clause (e) of section 3 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government, after consultation with the Central Insecticides Board, hereby includes the following substances in the Schedule to the said Act, namely :—

"Hexythiazox (Acaricide) Trans-5-(4-Chlorophenyl)-N-Cyclohexyl-4-Methyl-2-Oxothiazolidine-3-Carboxamide.

Flucarbimat N-(N-3, 5-dichloro-4(E)-1, 2, 3-Pentafluoro-1-Propenyloxy) Phenyl)-carbamoyl)-2-chlorobenzocarboxidate.

Paclobutrazol (2RS, 3RS)-1-(4-Chlorophenyl)-4, 4-dimethyl-2 (1H-1, 2, 4-triazol-1-yl)-Pentan-3-ol."

[No. 19-1-90-PP]

KANWAR RAJINDER SINGH, Dy. Secy.

NOTE : Further insecticides were included in the Schedule vide Notifications issued under GSR Nos. 9(E) dated 9-1-1974, 823(E) dated 28-9-1976, 200(E) dated 29-3-1978, modified to No. 201(E) vide GSR No. 318(E) dated 16-7-1980, 574(E) dated 6-10-1979, 38(E) dated 12-2-80, 501(E) dated 17-7-1982, 500(E) dated 18-6-1985, 839(E) dated 14-11-1985, 31(E) dated 15-1-1987, 511(E) dated 22-5-1987, 858(E) dated 12-8-1988 and 13(E) dated 5-1-1990.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 549] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 20, 1990/अग्रहायण 29, 1912
No. 549] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 20, 1990/AGRAHAYANA 29, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1990

सा. का. नि. 987 (अ):—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 3 के खण्ड (ङ) के उपखण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्; उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित पदार्थों को सम्मिलित करती है, अर्थात्:—

"हेक्सीथायट्रोफम (एकेरीसाइड)	ट्राय-5-(4-क्लोरोफेनिल)—एन-साइक्लो हैक्सिल-4-मेथिल-2-ऑक्सो-थायाजोलिडीन-3-कार्बोक्सामाइड